

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4812 /

जबलपुर, दिनांक 17 / 7 / 2023

श्री भैयालाल मलिक, कोर्ट अटेडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 28.04.2023 से 26.06.2023 तक 60 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं कर्त्तव्य पर उपस्थिति दिनांक 27.06.2023 से वेतन भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार


सही / -
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/4813 /

जबलपुर, दिनांक 17 / 7 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री भैयालाल मलिक, कोर्ट अटेडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
A